हापुड़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट

थाना–सिम्भावली **दिनांक:- 12-07-2024**

थाना सिम्भावली पुलिस ने शादी करने को लेकर दूल्हा–दुल्हन को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में एक आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 11.07.2024 को एक पीडिता द्वारा थाना सिम्भावली पुलिस को सूचना दी गई कि दिनांक 15.07.2024 को उसकी शादी होनी तय है तथा अलग–अलग नंबरों से उसे धमकी दी जा रही है कि अगर तूने शादी की तो तूझे व तेरे पति को गोली मार दूंगा, जिसके संबंध में तत्समय थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0–196/2024 धारा 351(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तों का पता कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे।

कार्यवाहीः–

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल की गई विवेचनात्मक कार्यवाही से पीडिता को धमकी देने में प्रयोग किए गए मोबाइल नम्बरों की जाँच/छानबीन करने पर 02 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये है जिनमें में एक अभियुक्त को थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिया गया अभियुक्त का नाम व पताः–

देव पुत्र विजय कुमार निवासी 392 आई ब्लॉक गंगानगर जनपद मेरठ।